न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 430 /2022

उनवान

संतोक पत्नी भैरूलाल तेली निवासी पालसा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1– छगना पिता हीरा तेली निवासी पालसा तहसील शाहपुरा
2– लादी पत्नी छोगा तेली निवासी पालसा तहसील शाहपुरा
3– बंशी पिता घीसा तेली निवासी पालसा तहसील शाहपुरा
4– दरिया कंवर पत्नी प्रतापसिंह राजपूत निवासी पालसा तहसील शाहपुरा
5– मूलचन्द पिता भोना बेरवा निवासी भुवाना खेड़ी पालासा
6– नोसी पत्नी हीरा गूर्जर निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
7– केलाश पिता हीरा तेली निवासी पालसा तहसील शाहपुरा
8– भेरू पिता मांगीलाल तेली निवासी पालसा तहसील शाहपुरा
9– राधेश्याम पिता चन्द्रा तेली निवासी रामपुरा लूलास तहसील शाहपुरा
10– कल्याणसिंह पिता शक्तिसिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा
11– नरेश पिता हरकचन्द गुर्जर निवासी पालसा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अविनाश जीनगर
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 02.01.2023

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **रामपुरा पटवार हल्का लुलास** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1100/97 रकबा 0.67 है0, 1127/58 रकबा 0.62 है0, 64 रकबा 0.46 है0, 1184/55 रकबा 0.49 है0** कुल किता **4** रकबा **2.65** हैक्टेयर की प्रार्थीया **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4, 7 लगायत 10** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 5, 6, 11** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रामपुरा पटवार हल्का लुलास संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थीया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रामपुरा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **4 रकबा 2.65 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 900/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **02.01.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा